न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 82/2021

खिरोधर महतो -बनाम- महेश यादव वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

08.02-2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया। तत्पश्चात वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 लागू करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, मधुबन से वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षों के नाम से नोटिस निर्गत कर निम्नलिखित भूमि को प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
चैनपुर	0081	13	560	0.5 डी0
			562	0.4 डी0
		1	883	3 डी0

अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चैनपुर, खाता सं0 13, प्लॉट सं. 560, 562 दोनों रकवा 09 डी0 भूमि रैयती खाते की है। खाता सं0 1, प्लॉट संख्या 883 विवादित रकवा 0.3ए0 भूमि सर्वे अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। जिसका सर्वे रकवा 59.16ए. भूमि किस्म जमीन जंगल दर्ज है। मुख्य रूप से यह विवाद खाता सं0 1, प्लॉट सं. 883 से संबंधित है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है जिसमें प्रथम पक्ष का कहना है कि मेरे हिस्से की भूमि पर आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के खिरोधर महतो के द्वारा सादा हुकूमनामा दिखाया गया जो अपठनीय है एवं एक रसीद प्रस्तुत किया गया जो पेम महतो के नाम से निर्गत है जिसका रकवा 0.60 एकड़ दर्ज है, रसीद सं. 452039 है। द्वितीय पक्ष के द्वारा एक फार्म M संलग्न किया गया है जिसमें खाता सं. 1, प्लॉट सं. 883 रकवा 0.92 ए0 दिखाया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रसीद अपठनीय है। ऑनलाईन जमाबंदी की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि किसी भी पक्ष का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II में दर्ज नहीं है। दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न तनाव को देखते हुए द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना-अपना कारणपृच्छा दाखिल किए।

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित दस्तावेज :-

1. खतियान की छाया प्रति।
2. लगान रसीद सं. 5821332 की छाया प्रति।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दाखिल किये गये कारणपृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन ही कारणपृच्छा

का अंश माना जाय। मौजा चैनपुर, खाता सं. 13, प्लॉट सं. 560, 562 के अलावा अन्य प्लॉट की भूमि प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि है। खतियान दीपचन्द महतो वो माकन महतो के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत दीपचन्द महतो के वंशज है। अंचल कार्यालय डुमरी के पंजी 2 के भाग सं. 1, पृष्ठ सं. 32 में रकवा $14.29\frac{2}{6}$ ए0 भूमि की जमाबंदी दीपचन्द महतो के नाम से कायम है। खतियानी भूमि से सटे खाता सं. 1, प्लॉट सं. 883, रकवा 2.30 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष को बन्दोबस्ती से हासिल है जिसपर पूर्वज के समय से करीब 85 वर्षो से खास निर्विरोध दखल-कब्जा भी है। उक्त भूमि से संबंधित कागजात गोतिया के पास है जो आपसी रंजीश के कारण मुझे नही दिये है। प्रथम पक्ष के हक हिस्से की भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा फर्जी कागजातों के आधार पर जबरन घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर निरोधात्मक आदेश को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित दस्तावेज :-

1. फार्म M की छाया प्रति।
2. लगान रसीद सं. 839658 की छाया प्रति।
3. ऑनलाईन पंजी 2 की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि द्वितीय पक्ष को खाता नं. 1, प्लॉट नं. 883, रकवा 92 डी0 भूमि भूदान से प्राप्त है जिसका माल निर्धारण फार्म M द्वारा दफा 5, 6, 7, बी0एल0 झार एक्ट 1950 के मुताबिक अंचल कार्यालय डुमरी से हुआ है। जिसकी सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति संलग्न की गई है। जो द्वितीय पक्ष के दादा मंगर गोप पिता पेरू गोप के नाम से हासिल है। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे है। प्रथम पक्ष के पास खाता नं0 1, प्लॉट नं. 883 से संबंधित कोई दस्तावेज नही है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा खाता नं. 1, प्लॉट नं0 883, रकवा 3 डी0 भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किए गए कारणपृच्छा तथा दस्तावेजों के अवलोकन करने एवं विज्ञ अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि यह वाद मूल रूप में मौजा चैनपुर, थाना नं. 81, खाता नं. 1, प्लॉट नं. 883, रकवा 3 डी. भूमि से संबंधित है जिसका प्रकृति, अंचल अधिकारी डुमरी के प्रतिवेदन के अनुसार, गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। अतएव इस वाद में कोई भी वैद्यानिक आदेश पारित करना विधिसम्मत नही है। आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर आदेश की प्रति अपलोड करें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2022.03.14 16:20:52 +05:30
Location: 192.168.251.100

08.02.2022

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

08.02.2022

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।